

फर्द अहकाम

पञ्चदश बनाम

सदर

A.C.E.M.

F.T.

आमेर गु. जयपुर

(टी. आई.)

आज्ञा विस्तृत रूप से

पतावली पेश दुर्ग अधिवक्तागण
 उम्मापुत्र उपस्थित जवाब जा.पा.
 टी. आई. प्रस्तुत नहीं कर अधिवक्ता
 आपसी-2 (जिडीए) द्वारा कीचे बहक
 हेतु निवेदन किया जाने पर उम्मा
 पञ्चदशान को जा.पा. टी. आई. पर
 सुना गया। चूंकि विवाहित भूमि
 रिपोर्ट में आपसी 2 (जिडीए) के नाम
 दर्ज रिपोर्ट है तथा प्रथम दृष्टया
 प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा
 अपुण्यता इति आदि के लक्षणों में
 सिद्ध प्रतीत नहीं होती है तथा
 प्रकरण का मिस्तारण उम्मापुत्र
 कारण को विस्तृत रूप से सुनकर,
 प्रस्तुत साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए
 निम्न जना उचित समझते हैं। अतः
 आधी का प्रथम पत्र अध्याई निषेधात्
 खारिज किया जाय है। पतावली के लक्षण
 शुभार धेकर दर्ज नकर के कगदा

Nidh

सहायक कोलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 (फाउंड ट्रेक) आमेर गु. जयपुर